प्रेषक,

निदेशक मत्स्य

उत्तर प्रदेश, लखनऊ |

सेवा में,

1- समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश |

2- समस्त उप निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश |

दिनांक:22-08-2024

पत्राक: 1178 /सह0अनु0/निबंधन/2024-25,

विषय: मात्स्यिकी के क्षेत्र में बहुउद्देशीय नई मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के गठन हेतु दिशा- निर्देश |

महोदय,

प्रायः यह संज्ञान में आ रहा है कि प्रदेश में मत्स्य विभाग द्वारा पूर्व में गठित मत्स्य जीवी सहकारी समितियां वर्तमान में या तो निष्क्रिय है अथवा वे लाभ अर्जित नहीं कर पा रही हैं |-सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भी प्राथमिक सहकारी समिति को VIABLE बनाने के उद्देश्य से बहु-उद्देशीय प्राथमिक सहकारी समितियां गठित करने के सुझाव के साथ आदर्श उप-विधियाँ निर्गत की है|जिससे समितियां लाभ अर्जन के साथ समिति गठन के उदेश्यों की पूर्ति भी आसानी से कर सके|

अत: उपर्युक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत मात्स्यिकी के क्षेत्र में मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के निबंधन हेतु पूर्व में जारी आदेश संख्या: 601/सह0अनु0/निबंधन/1058/2014.15, दिनांक: 20.02.2015 में निम्नानुसार संशोधन करते हुए नवीन दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे है ताकि समिति के निबंधन में अनावश्यक विवाद एवं विलम्ब से बचा जा सके | यह आदेश तत्काल प्रभावी होगें:-

1. मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य पालन, मत्स्य उत्पादन, एवं मत्स्य विपणन को सम्मिलित करते हुए उ०प्र० सहकारी समिति अधिनियम 1965, सपठित नियमावली 1968 की धारा-4 के उपबंधो के अधीन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सहाकारी सिद्धांतों के अन्तर्गत कोई समिति जिसका उद्देश्य सहाकारी सिद्धांतो के अनुसार अपने सदस्य के आर्थिक हितों की उन्नति करना हो अथवा कोई समिति जो उक्त समिति के कार्य संचालन को सुगम बनाने के उद्देश्य से स्थापित की गयी हो इस अधिनियम के अधीन निबधित की जा सकती है। विभिन्न बहु-उद्देशीय मत्स्य जीवी सहकारी समितियों का निबंधन किया जायेगा |

2. प्रस्तावित समिति के निबन्धन हेतु प्रार्थना पत्र ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन प्राप्त होने पर सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा समिति के गठन की सम्भावनाओं यथा मत्स्य पालन, मत्स्य उत्पादन एवं मत्स्य विपणन, मानक के अनुसार समिति के पात्र सदस्यों का आंकलन करने के पश्चात निर्धारित खाते में चालान शुल्क जमा कराते हुए संलग्न प्रारूप पर उपविधि एवं निबन्धन प्रार्थना पत्र निर्गमन की संस्तुति मुख्यालय से की जायेगी |

3. प्रस्तावित समिति का निबन्धन हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर आर्गेनाइजर नियुक्त किया जाये, उसके द्वारा प्रस्तावित समिति के कार्यक्षेत्र में भरपूर प्रचार-प्रसार अवश्य किया जाये तथा बैठकों का यथाविधि एजेण्डा निर्गत कराकर समिति की संगठनात्मक बैठक आयोजित करायी जाये|मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के गठन/निबंधन हेतु न्यूनतम 27 सदस्य होंगे।

4. समिति गठन के सम्बन्ध में स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाये तथा न्यूनतम आवश्यक तीनों संगठनात्मक बैठकें एवं उनके एजेण्डे के अनुसार आयोजित किया जाये एवं इन बैठकों में क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों यथा ग्राम प्रधान को अवश्य बुलाया जाये तथा उनकी उपस्थिति अवश्य दर्ज करायी जाये यथा संभव GPS फोटोग्राफ आदि अभिलेखों हेतु लिए जाये ताकि बाद में स्थानीय निवासी यह शिकायत न कर सके कि बिना उनकी जानकारी के गुपचुप रूप में समिति गठित कर ली गयी है। निवन्धन के नियमों के सम्बन्ध में सभी को समुचित जानकारी अवश्य दे दी जाये |

5. प्रस्तावित समिति का कायक्षेत्र तहसील के अन्तर्गत नदी के चिन्हांकित खंड तथा/अथवा तालाब पर गठित समिति को एक न्याय पंचायत तक ही सीमित रखा जाये | निबंधित समितियों को राजस्व विभाग की जल प्रणालियों के पट्टा आदि का आवंटन करने में राजस्व सहिंता-2016 का पालन किया जायेगा | शेष जल प्रणालियों के सम्बन्ध में संबंधित विभाग के प्रचलित नियमों का पालन किया जाएगा |

6. निबंधित मत्स्य जीवी सहकारी समितियां मत्स्य/मत्स्य उत्पादों के विपणन आदि से सम्बंधित कार्य बिना कार्यक्षेत्र की परिसीमा के सम्पूर्ण प्रदेश में स्वतंत्र रूप से कार्य करने हेतु अधिकृत होंगी |

7. निबन्धन प्रार्थना पत्र को भली-भांति भरा जाय तथा निर्धारित स्थान पर मत्स्य निरीक्षक/सहायक

निदेशक मत्स्य/मुख्य कायकारी अधिकारी एव उप निदेशक मत्स्य के हस्ताक्षर, नाम के साथ प्राथना पत्र के प्रत्येक पृष्ठ को ठीक से भरा गया है की पुष्टि सहायक निदेशक /मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर सहित स्पष्ट हस्ताक्षर किया जाये।

8. निबन्धन हेतु तीन आदर्श उपविधियों की मूल प्रति ही संलग्न की जाये जिनके प्रत्येक पृष्ठ पर नीचे सचिव एवं मुख्य प्रवर्तक के बिना मुहर के हस्ताक्षर हो तथा अन्तिम पृष्ठ पर उनके मुहर सहित हस्ताक्षर को सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा मुहर सहित प्रमाणित किया जाये।

9. प्रस्तावित समिति के प्रस्तावित सदस्यो की अंशपूजी (न्यूनतम प्रति सदस्य रूपये 100/-) एवं प्रवेश शुल्क (रूपये 10/- प्रति सदस्य की दर से) की धनराशि को बैंक में जमा कराकर बैंक में जमा की गयी रसीद अवश्य संलग्न की जाये।

10. प्रस्तावित समिति के प्रस्तावित सचिव की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमिडिएट (12वीं) पास आवश्यक है, जिसके सम्बन्ध में अंक-तालिका एवं प्रमाण-पत्र को सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी से सत्यापित कराकर ही संलग्न की जाये।

11. नदियो पर प्रस्तावित समिति के सन्दर्भ में प्रस्तावित कार्यक्षेत्र हेतु सम्बन्धित तहसील के उप जिलाधिकारी द्वारा चिन्हांकित खंडो की सूची संलग्न की जायगी। तालाब के जलक्षेत्र (केवल 2.00 हे0 से तालाबो) पर प्रस्तावित समिति के प्रस्तावित कार्यक्षेत्र को सम्बन्धित विकास खण्ड के नक्शे में लाल/हरा स्याही से न्याय पचायतवार/ग्राम पचायतवार चिन्हांकित कर विकास खण्ड का नक्शा सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर संलग्न की जाये।

12. प्रस्तावित समिति के कार्यक्षेत्र में उपलब्ध जलक्षेत्र (केवल 2.00 हे0 से तालाबो) के साक्ष्य हेतु राजस्व विभाग की खसरा/खतौनी जो राजस्व विभाग से प्रमाणित हो, को मूलरूप में संलग्न करते हुए न्याय पंचायतवार/ग्रामसभावार जलक्षेत्र के विवरण की सूची अलग से तैयार कर सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर अलग से संलग्न की जाये तथा एक प्रति जनपद स्तर पर सुरक्षित रखी जाये।

13. प्रस्तावित समिति के प्रस्तावित जलक्षेत्र में कुल मछुवा सदस्यों की संख्या एवं प्रस्तावित समिति की सदस्यता ग्रहण करने वाले सदस्यों की संख्या का ग्राम सभावार विवरण की सूची को तैयार कर सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर अलग से संलग्न की जाये।

14. प्रस्तावित समिति के प्रस्तावित सदस्यों के सम्बन्ध में सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपविधि के अनुसार सदस्य पात्रता प्रमाण-पत्र यतः "प्रस्तावित सदस्य जो कि उल्लिखित जाति/निवासी है, का चरित्र अच्छा, मस्तिष्क स्वस्थ एवं आयु 18 वर्ष से अधिक है, जो समिति के कार्यक्षेत्र में रहते है और मछली पकडने व पालन का कार्य सक्रिय ढंग से करते हैं तथा सदस्यता के लिये अधिनियम व नियमों द्वारा निर्धारित कोई अनर्हता नहीं रखते हैं एवं मत्स्य व्यवसाय अग्रिम मछुवा ऋण अथवा बिचौलिया होने का कार्य नहीं करते हैं", प्रमाणित कर प्रत्येक सदस्य का अलग-अलग संलग्न किया जाये।

15. प्रस्तावित समिति में बिचौलिया न होने के सम्बन्ध में रूप पत्र-1 के क्रमांक 8(5) के अनुसार सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाये।

16. प्रस्तावित समिति के निबन्धन हेतु कम से कम 3 संगठनात्मक बैठकें आर्गनाइजर की उपस्थिति में अलग-अलग तिथियों में कराकर बैठकों की कार्यवाही रिपोर्ट को सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर संलग्न की जाये।

17. प्रस्तावित समिति के निबन्धन हेतु वायबिल्टी रिपोर्ट एवं कार्ययोजना तैयार कर सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रति संलग्न की जाये।

18. प्रस्तावित समिति में प्रपत्र-1 क्रमांक-14 (क) के अनुसार सदस्यों की सूची 3 प्रतियों में तैयार कर सूची के प्रत्येक पृष्ठ को सचिव/ सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर संलग्न की जाये।

19. प्रस्तावित समिति में प्रस्तावित सभी सदस्यों द्वारा अद्यतन जाति प्रमाण-पत्र मूलरूप में ही सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा सत्यापित कर संलग्न किया जाये।

20. प्रस्तावित समिति के सभी सदस्यों द्वारा घोषणा पत्र मूलरूप में भरकर सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमाणित कर संलग्न किये जाये।

21. समिति का पर्जीकरण करने से पूर्व सदस्यों का नाम, पता तथा फोटोग्राफ्स की सूची विभागीय अधिकारी द्वारा सत्यापित एवं स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्तुत किया जाये।

22. सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा यह प्रमाण-पत्र अवश्य दिया जाये कि सभी प्रस्तावित सदस्य समिति के कार्यक्षेत्र के ही निवासी है तथा वे किसी अन्य ऐसी समिति जो इसी उद्देश्य के

लिए गठित हो के सदस्य नहीं है।

23. प्रस्तावित समिति की उप-विधि में यह अवश्य उल्लिखित कर दिया जाये कि इसी कार्यक्षेत्र में मत्स्य विभाग द्वारा निबंधित अन्य मत्स्य जीवी सहकारी समितियां भी उसी कार्यक्षेत्र में ठेका/पट्टा लेने हेतु अधिकृत होंगीं।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखकर तैयार किये गये निबन्धन के प्रस्ताव का उप निदेशक मत्स्य द्वारा समिति गठन के उ०प्र० सहकारी समिति अधिनियम 1965, सपठित नियमावली 1968 की धारा-4 के उपबंधे के अधीन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विधिवत, परीक्षण कर अपनी स्पष्ट संस्तुति के साथ निर्धारित प्रपत्र पर अलग से प्रनाण-पत्र देते हुए प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित किया जाये तथा प्रस्ताव में कोई कमी ना रह जाये ताकि उसका उ०प्र० सहकारी समिति अधिनियम 1965, सपठित नियमावली 1968 की धारा-7 के अंतर्गत निबन्धन समय से किया जा सके।

भवदीय,

Signed by
Noorus Saboor Rehmani
Date: 22-08-2024 10:03:53

(नुरूस्सबूर रहमानी)